N.O.C

E.No 5

श्री
उप
उ

सेवा में,

सेक्रेटरी बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन,
मिल्टन पब्लिक स्कूल, आगरा प्रतिनिधि
नई दिल्ली-110092

महाशय: दिनांक: मार्च, 1995

विषय: मिल्टन पब्लिक स्कूल, आगरा को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मिल्टन पब्लिक स्कूल, आगरा को सेकेण्डरी बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

(1) विद्यालय को पंजीकृत सोसाइटी का नाम के स्थान पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में जिला निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों के विभिन्न स्थानों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4) तथा इसके राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि भविष्य में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेक्रेटरी बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परिषद परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(5) सेवायोजित तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों को राज्यीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा-निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्रों में रखा जायेगा।

(9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

....2

SHITRA RAI
PRINCIPAL
MILTON PUBLIC SCHOOL

(2)

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की कोई चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(आर० गोस्वामी)
उप सचिव।

पृ०सं० 649/11/15-7-1993 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- जिला निदेशक, उत्तर प्रदेश, शिक्षा कार्यालय, 10 तल्ला रोड, लखनऊ।
2- मण्डलीय उप जिला निदेशक, आगरा मण्डल आगरा।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
4- निरीक्षक, कॉन्वेन्ट भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- प्रबन्धक, मिल्टन पब्लिक स्कूल, आर्य नगर, केदारनगर, आगरा।

भवदीय,

(आर० गोस्वामी)
उप सचिव।

MILTON PUBLIC SCHOOL, AGRA
MANAGER
PRINCIPAL

SHITRA RAI
PRINCIPAL
MILTON PUBLIC SCHOOL
Kedar Nagar, AGRA